मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक एफ 11-3/2024/नियम/चार भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर, 2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

विषयः- सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गो में भर्ती किये जाने विषयक।

संदर्भः- 1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11-5/2007/ नियम / 4 दिनांक 03.01.2013
2. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11-3/2021/नियम/चार दिनांक 13.08.2021
3. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11-1/2023/नियम/चार दिनांक 31.03.2023
4. सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. 728/797188/2022/GAD/RC दिनांक 16.11.2022
5. सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. 756/797188/2022/GAD/RC दिनांक 22.11.2022

संकल्प पत्र 2024 में "**रोजगार के अवसर**" बिंदु में उल्लेख है कि "हम अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे और प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेंगे।"

2. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 728/797188/2022/GAD/RC दिनांक 16/11/2022 एवं 756/797188/2022/GAD/RC दिनांक 22/11/2022 को दिनांक 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य किया जाता है। इन परिपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पदों पर, जिन पर विभागों द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 तक निम्नानुसार कार्यवाही की गई है, वह निरस्त नहीं मानी जायेगी -

(i). सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही हेतु पत्र, कर्मचारी चयन मण्डल (ESB) / म.प्र. लोक सेवा आयोग (MPPSC) / अन्य संस्था को प्रेषित किये गये हैं।

(ii). नियुक्ति की जा चुकी है परंतु कार्यभार ग्रहण किया जाना शेष है।

(iii). परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है।

3. राज्य शासन में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 11-5/2007/नियम/4 दिनांक 03.01.2013 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 11-3/ 2021 / नियम / चार दिनांक 13 अगस्त 2021 में मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5 % पदों की ही सीधी भर्ती से पदपूर्ति करने हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है, को इस परिपत्र की प्रभावशीलता अवधि अर्थात वर्ष 2028-29 तक के लिये स्थगित किया जाता है।

4. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति निम्नांकित गणना के अनुसार की जाये :-

4.1.1 सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग में दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाये।

4.1.2 इनमें ऐसे पद जिनके संबंध में इस परिपत्र की कंडिका 2 के अनरूप कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल (ESB) / एमपीपीएससी (MPPSC) या अन्य संस्थाओं में प्रचलन में है, रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित नहीं किए जायेंगे, तथा

4.1.3 ऐसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के उपरान्त रोके गए हैं, इनको भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जायेगा।

4.2 उपरोक्त कंडिका 4.1.1 से 4.1.3 में गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है, की पद पूर्ति दो चरणों में की जाये (अर्थात 50% पद वित्तीय वर्ष 2024-25 में एवं शेष 50% पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जाये)।

4.3 उपरोक्त कंडिका 4.1.1 से 4.1.3 में गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, उनमें पद पूर्ति तीन चरणो में निम्न सिद्धांत के आधार पर की जाये -

सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या की गणना का सूत्र (प्रतिशत में)	**कॉलम (1) की गणना उपरांत प्राप्त संख्या (प्रतिशत में) की चरणबद्ध पदपूर्ति की प्रक्रिया**
(1)	**(2)**
सीधी भर्ती के रिक्त पद ——————————X 100 सीधी भर्ती के कुल पद	(1) यदि 33% से कम है, तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति
	(2) यदि 33% अथवा अधिक है, पर 66% से कम है तो निम्नानुसार वर्षवार पदपूर्ति - प्रथम वर्ष 2024-25 में 8% , द्वितीय वर्ष 2025-26 में 46% तृतीय वर्ष 2026-27 में 46%
	(3) यदि 66% अथवा अधिक है तो निम्नानुसार वर्षवार पदपूर्ति - प्रथम वर्ष 2024-25 में 8% , द्वितीय वर्ष 2025-26 में 31% तृतीय वर्ष 2026-27 में 31% चतुर्थ वर्ष 2027-28 में 30%

4.4 ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है वहां पदपूर्ति के संबंध में निम्न सिद्धांत पर की जाये :-

सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या की गणना का सूत्र (प्रतिशत में)	**कॉलम (1) की गणना उपरांत प्राप्त संख्या (प्रतिशत में) की चरणबद्ध पदपूर्ति की प्रक्रिया**
(1)	**(2)**
सीधी भर्ती के रिक्त पद ——————— X 100 सीधी भर्ती के कुल पद	(1) यदि 25% से कम है, तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति
	(2) यदि 25% अथवा अधिक है, पर 50% से कम है तो निम्नानुसार वर्षवार पदपूर्ति - प्रथम वर्ष 2024-25 में 8% , द्वितीय वर्ष 2025-26 में 46% तृतीय वर्ष 2026-27 में 46%
	(3) यदि 50% अथवा अधिक पर 75% से कम है तो निम्नानुसार वर्षवार पदपूर्ति- प्रथम वर्ष 2024-25 में 8% , द्वितीय वर्ष 2025-26 में 31% तृतीय वर्ष 2026-27 में 31% चतुर्थ वर्ष 2027-28 में 30%
	(4) यदि 75% अथवा अधिक है तो निम्नानुसार वर्षवार पदपूर्ति - प्रथम वर्ष 2024-25 में 8% , द्वितीय वर्ष 2025-26 में 23% तृतीय वर्ष 2026-27 में 23%, चतुर्थ वर्ष 2027-28 में 23% पांचवे वर्ष 2028-29 में 23%

5. राज्य शासन द्वारा डाईंग संवर्ग घोषित किये जा चुके संवर्गों में किसी भी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जाये ।

6. अनुबंधित वाहन हेतु वाहन चालको के पद पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है । जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन है, वे भी वाहन चालक के कार्य हेतु सेवायें आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार करें । विशिष्ट विभाग जहाँ वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अतिआवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये स्वीकृति प्राप्त करें ।

7. राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरूद्ध कार्य करने के लिये व्यक्तियों की पूर्ति हेतु वित्त विभाग के संदर्भित पत्र क्रमांक-3 जिसमें मुख्य रूप से आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवायें प्राप्त करने संबंधी नीति निर्देश हैं , के अनुसार कार्यवाही की जाये। विशिष्ट विभाग जहाँ चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अतिआवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रेषित करते हुये स्वीकृति प्राप्त करें।

8. रिक्त पदो की पूर्ति के समय कैडर मेनेजमेंट प्रभावित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक एफ 11-3/2024/नियम/चार भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर, 2024

प्रतिलिपि -

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
2. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर (म.प्र.)।
3. संचालक, कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल (म.प्र.)।
4. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अश्विनी रणपिसे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग